FORM No. III

APP-A
Crim=I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ______________________ मुकाम ______________________

गोपाल सिंह बनाम भवानी सिंह

मुकदमा ______________________ नं. 142 सन् 16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(न्याय आपके द्वार-लोक अदालत-2018 पत्रावली आज दिनांक 14-5-18 को चिन्हित होने पर लोक अदालत कोर्ट [illegible] मुख्यालय 42 पर तलब की [illegible] प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपस मे राजीनामा होने/वादी/प्रतिवादी के उपस्थित नही होने से प्रक[illegible] निस्तारण नही हो सका! अत पत्रावली पुन न्यायालय [illegible] में में दिनांक 3-10-18 को वास्ते सुनवाई पेश [illegible] सहायक कलक्टर, ब.	
3-10-18	पत्राव: पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/न्यायिक पैरवी कार्य [illegible] है पीठासीन अधिकारी महोदय [illegible]/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश पे पधारने से पत्रावली दिनांक 9-1-19 को पेश हो आज्ञा से रीडर सहायक कलक्टर बदनौर	
9-1-18	पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से एडवोकेट पदम सिंह देथा उपस्थित। प्रतीवादी की ओर से एडवोकेट विजय कुमार टेलर उपस्थित। प्रतीवादीगण समस्त स्व: भी उपस्थित। प्रतीवादी स. 1 व 2. ने अपना इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया। जिसकी नकल वादी के अभीव्यकता को दी गई। यह कि प्रकरण मे प्रतिवादी स. 3 फारमल पक्षकार होने से उनके जवाब की अवशयकता नही है। प्रतीवादीगण ने वादीगण के वादपत्र को पूर्णत: सवीकार किया है। प्रतीवादीगण ने वादीगण के	

P.T.O

Scanned by CamScanner

पद्मा॰ | व.मि. 142/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
[signature] प्रार्थी [signature] रघुवीर [signature]	वाद पत्र की डिक्री किये जाने में सहमती प्रदान की है। लिहाजा न्यायालय वादीगण का वादीगण का वाद पत्र स्वीकार करना उचित समझता है। अत: वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल होकर नम्बर से कम की जावे॥ [signature] 9.1.19 सहायक कलेक्टर (S.D.O. बदनार)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर,(एस.डी.ओ.),बदनोर जिला–भीलवाडा
बइजलास श्री अतहर आमिर खान आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 142/2016

अनवान

1–गोपाल सिंह पिता भवानी शंकर रावणा राजपूत निवासी बदनोर जिला–भीलवाडा।

2–प्रेमसिंह पिता भवानी शंकर रावणा राजपूत निवासी बदनोर जिला–भीलवाडा।

3–सुशीला देवी पुत्री भवानी शंकर रावणा राजपूत निवासी बदनोर हाल पत्नी भंवरसिंह निवासी ब्यावर चुंगी आसीन्द जिला–भीलवाडा।

–वादीगण

बनाम

1– भवानी शंकर पिता मोहन लाल रावणा राजपूत निवासी बदनोर जिला–भीलवाडा।

2–रघुवीर सिंह पिता भवानी शंकर रावणा राजपूत निवासी बदनोर जिला–भीलवाडा।

3–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब बदनोर जिला–भीलवाडा। –प्रतिवादीगण

उपस्थिति:– श्री पदमसिंह देथा वकील वादीगण।

उपस्थिति:–श्री विजय कुमार टेलर व श्री जमील कादरी प्रतिवादी सं0 1व 2

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 09.01.2019

वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदना किया की मौजाग्राम गायत्रीनगर पटवार हल्का परा तहसील बदनोर की आराजी नम्बर 1048 रकबा 0.03 है0, आ0नं01049 रकबा 0.09 है0, आ0नं0 1050 रकबा 0.37 है0, आ0नं0 1051 रकबा 0.18 है0, आ0नं0 1052 रकबा 0.20 है0, आ0नं0 1053 रकबा 0.04 है0, आ0नं0 1054 रकबा 0.11 है0, आ0नं0 1055 रकबा 0.31 है0 कुल किता 08 रकबा 1.33 हैक्टयर वादीगण एंव प्रतिवादीगण की पुस्तेनी आराजीयात हे जो प्रतिवादी संख्या एक के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। विवादित आराजियात में वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या एक व दो प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा निहित है परन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त आराजियात वादीगण के दादाजी मोहनलाल के नाम खातेदारी हक से चली आ रही थी जो उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी संख्या एक व उसकी मृतक माता जमनी देवी के नाम दर्ज हुई जमनी देवी के मरणोउपरान्त प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या एक के तीन पुत्र व एक पुत्री है। वादग्रस्त आराजियात पेतृक सहदायगी सम्पति होने से वादीगण का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। वादीगण वादग्रस्त आराजियात में प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा निहित है जिसकी घोषणा कराए जाने के अधिकारी है।

वादपत्र दर्ज कर प्रतिवादीगणों को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादपत्र में वर्णित कथन को स्वीकार किया। एवं मजीद कथन में प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को पुस्तेनी आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजियात में उसके जीवनकाल में ही 1/5 हिस्सा उनके नाम किये जाने में कोई उजर व एतराज आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीगण का जवाब इकबालिया होने से तनकीयात कायम नही की गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O. बदनोर)

पत्रावली का अवलोकन किया जमाबन्दी संवत 2034 से 2037 के अवलोकन से जाहिर हे कि वादग्रस्त आराजी भवानी शंकर पिता मोहन व जमना बेवा मोहन वर्मा के नाम दर्ज थी जो जमना बेवा मोहन का देहान्त हो जाने से ना0सं0 342 से विरासत से जमनी के बजाय भवानी शंकर पिता मोहन लाल के नाम दर्ज करने की मंजूरी हुई परन्तु हाल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 में वादग्रस्त आराजियात भवानी शंकर पिता मोहन व जमना बेवा मोहन वर्मा

Scanned by CamScanner

साकीन बदनोर के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत 2034 से 2037 के अनुसार जमना बेवा मोहन का देहान्त पूर्व में होकर नामान्तरण फैसल किया जाकर वादग्रस्त आराजियात अकेले प्रतिवादी संखा 1 के नाम दर्ज हुई है। पत्रावली के अवलोकन से व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाब से यह जाहिर आया कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पुस्तेनी आराजियात है और वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का वादग्रस्त आराजियात में 1/5 , 1/5 हक हिस्सा होना जाहिर आया है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) बदनोर (भीलवाड़ा) राज.

:: आदेश ::

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर मौजा ग्राम गायत्रीनगर पटवार हल्का परा तहसील बदनोर की आराजी नम्बर 1048 रकबा 0.03 है0, आ0नं01049 रकबा 0.09 है0, आ0नं0 1050 रकबा 0.37 है0, आ0नं0 1051 रकबा 0.18 है0, आ0नं0 1052 रकबा 0.20 है0, आ0नं0 1053 रकबा 0.04 है0, आ0नं0 1054 रकबा 0.11 है0, आ0नं0 1055 रकबा 0.31 है0 कुल किता 08 रकबा 1.33 हैक्टयर मे वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/5 हिस्से के लिये खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है । तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे। डिक्री पर्चा तैयार किया जावे । पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफतर करे।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O. बदनोर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद मे अन्तिम डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर,(एस.डी.ओ.),बदनोर अतहर आमिर खान, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 142/2016

अनवान

1–गोपाल सिंह पिता भवानी शंकर रावणा राजपूत निवासी बदनोर जिला–भीलवाडा।

2–प्रेमसिंह पिता भवानी शंकर रावणा राजपूत निवासी बदनोर जिला–भीलवाडा।

3–सुशीला देवी पुत्री भवानी शंकर रावणा राजपूत निवासी बदनोर हाल पत्नी भंवरसिंह निवासी ब्यावर चुंगी आसीन्द जिला–भीलवाडा। –वादीगण

बनाम

1– भवानी शंकर पिता मोहन लाल रावणा राजपूत निवासी बदनोर जिला–भीलवाडा।

2–रघुवीर सिंह पिता भवानी शंकर रावणा राजपूत निवासी बदनोर जिला–भीलवाडा।

3–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब बदनोर जिला–भीलवाडा।

–प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188–92 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादीगण की और से एडवोकेट श्री पदमसिह देथा एंव प्रतिवादीगण की और से एडवोकेट श्री विजय कुमार टेलर व श्री जमील कादरी की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 09.01.2019 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि:– ग्राम गायत्रीनगर पटवार हल्का परा तहसील बदनोर की आराजी नम्बर 1048 रकबा 0.03 है0, आ0नं01049 रकबा 0.09 है0, आ0नं0 1050 रकबा 0.37 है0, आ0नं0 1051 रकबा 0.18 है0, आ0नं0 1052 रकबा 0.20 है0, आ0नं0 1053 रकबा 0.04 है0, आ0नं0 1054 रकबा 0.11 है0, आ0नं0 1055 रकबा 0.31 है0 कुल किता 08 रकबा 1.33 हैक्टयर मे वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/5 हिस्से के लिये खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है । तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

इसके वाद के खर्चे लेखे-xxx-रूपये की राशि आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर-xxx-प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित-xxx-द्वारा-xxx-को दी जावे।

यह डिकी आज दिनांक 09.01.2019 को मेरें हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(भीलवाडा) राज

सहायक कलक्टर
S.D.O. बदनोर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1.वाद–पत्र के लिए स्टाम्प	02	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–
2.शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3.प्रदशों के लिए स्टाम्प	06	–	प्लीडर की फीस	–	–
4.रूपयें पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	11	–	योग	01	–

सहायक कलक्टर
(S.D.O. बदनोर)

Scanned by CamScanner